मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः 02.01.2025

थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा क्रूरता पूर्वक मारपीट कर जंगल के रास्ते वध हेतु ले जाए जा रहे 15 राशि गोवंश के साथ 02 तस्कर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी आपरेशन के नेतृत्व में आज दिनांकः 02.01.2025 को थाना राजगढ़ पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम सेमरी जंगल से 02 नफर अभियुक्तगण 1. धर्मू पुत्र बिहारी निवासी जंगल महाल गोवरदहा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर व 2. रवीन्द्र पुत्र लखन बिन्द निवासी घटमापुर थाना चैनपुर जिला भभूआ बिहार को गिरफ्तार किया गया। मौके से क्रूरता पूर्वक मारपीट कर वध हेतु ले जा रहे कुल 15 राशि गोवंशो को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-02/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. धर्मू पुत्र बिहारी निवासी जंगल महाल गोवरदहा थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 38 वर्ष।
2. रवीन्द्र पुत्र लखन बिन्द निवासी घटमापुर थाना चैनपुर जिला भभूआ बिहार, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

15 राशि गोवंश।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-02/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रूरता अधि. थाना राजगढ़ मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष महेन्द्र पटेल मय पुलिस टीम थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

पुलिस अधीक्षक - 9454400299
महेन्द्र पटेल
थानाध्यक्ष
SHOT ON MI 10I
02/01/2025 13:03